International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 04(III), October - December, 2023, pp. 85-93

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों का वर्तमान अध्ययन

हरगोविन्द खरेरा*

सार

देश की आर्थिक गतिशीलता उस में विद्यमान प्रभावशाली बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करती है। बैंक ही ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो देश में मुद्रा एवं साख का निर्माण एवं नियंत्रण करते हैं। जिस देश की बैंकिंग प्रणाली जितनी अधिक सुदृढ़, चिरस्थाई एवं विश्वश्नीय होती है उस देश की आर्थिक स्थिति उतनी ही अधिक विकसित एवं गतिशील होती है। भारत में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व भी ऋणों का लेनदेन होता था। तब से ऋणों का लेनदेन विकसित होते हुए गैर–संस्थागत साख संस्थाओं के रूप में विकसित हुआ और गैर–संस्थागत साख संस्थाओं से आधुनिक बैंकों का विकास हुआ। वर्तमान आधुनिक बैंकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य प्राचीनकाल से ही ग्रामीण व विकासशील क्षेत्रों में देशी या परम्परागत व गैर–संस्थागत साख संस्थाओं किए जाते थे। आगे चलकर देश में पूर्व में स्थापित तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का एकीकरण करके वर्श 9121 में एक नवीन बैंक इम्पीरियल बैंक की स्थापना केन्द्रीय बैंक के रुप में की गई। देश में बैंकिंग विकास हेतु अनेक सुझावों को ध्यान में रखते हुए इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई, 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ शब्द पूरे विश्व में कार्यरत एवं संचालित सभी प्रकार के बैंकों एवं समस्त प्रकार के वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उपयोग किया जाने वाला सारगर्भित शब्द है। इसका उपयोग ऋणों की वास्तविक स्थिति जानने, बैंक के ऋणों की वसूलीकरण के प्रति बैंकिंग नीति एवं प्रबंध व्यवस्था एवं कुछ संपत्तियों की निष्पादित एवं गैर–निष्पादित क्षमता का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है।

शब्दकोशः *प्रेसीडेंसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकरण, सहायक बैंक, गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ।*

प्रस्तावना

किसी देश की आर्थिक गतिशीलता उस देश में विद्यमान प्रभावशाली बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करती है। बैंक ही ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो देश में मुद्रा एवं साख का निर्माण एवं नियंत्रण करते हैं। जिस देश की बैंकिंग प्रणाली जितनी अधिक सुदृढ़, चिरस्थाई, विश्वसनीय होती है और बैंकिंग प्रणाली का विकास किसी विधान के अधीन जितना अधिक हुआ है उस देश की आर्थिक स्थिति उतनी ही अधिक विकसित एवं गतिशील होती रहती है। क्योंकि आर्थिक विकास की प्रथम कड़ी बैंक ही होते हैं। इस लिए बैंक ही जनता, व्यवसाय, उद्योग, सेवा क्षेत्र एवं सरकार के मध्य मौद्रिक विकास, विस्तार एवं नियंत्रण का कार्य करते हैं। बैंकिंग प्रणाली के विकास के साथ–साथ अर्थव्यवस्था का विकास भी अपनी गति से बढ़ता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे– सरकार बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से जनता में मुद्रा की पूर्ति में विस्तार करती है, मुद्रा विस्तार से जनता में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो लोगों की आय बढ़ती है, आय बढ़ने से हर आय वर्ग के व्यक्ति आवश्यकतानुसार वस्तुओं की मांग

* सहायक आचार्य ई.ए.एफ.एम., राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान।

करते हैं तो वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है, वस्तुओं की मांग के अनुसार पूर्ति बढ़ाने के लिए उत्पादक उत्पादन अधिक करके उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं। जिससे उत्पादन बढ़ाने के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की मांग बढ़ती है, संसाधनों की मांग बढ़ने के कारण रोजगार के अवसर एवं पारश्रमिक/मजदूरी बढ़ती है। मजदूरी बढ़ने के साथ–साथ पुनः जनता की आय बढती है। जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में जोखिमों से बचने के लिए जनता में बचतों को प्रोत्साहन मिलता है। यदि जनता में बचतें बढ़ती हैं तो जनता अपनी बचतों को बैंकों में जमा कर देती है। जिससे बैंकों में बहुत बड़ा मौद्रिक या वित्तीय कोष उत्पन्न होता है। बैंकों के पास उत्पन्न जमा कोष को बैंक अपने पास नही रख सकते हैं लेकिन इस जमा कोष में से भावी जोखिम की सुरक्षा हेतु धन बचाकर शेष धन सरकार के दिशा–निर्देशानुसार किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार को ऋण के रूप में उधार दे देते हैं या फिर विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विनियोजित कर देते हैं। जिससे बैंको में ऋण परिसम्पत्तियों की मात्रा में वृद्वि होने लगती हैं। इन ऋण परिसम्पत्तियों में कुछ ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान हो जाता हैं तो बैंक में और अधिक मात्रा में ऋण देने की प्रवृति बढ़ती है। इस प्रकार बैंक देश में मौद्रिक विकास, विस्तार एवं नियंत्रण का कार्य करते हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवसाय का प्ररम्भ सर्व प्रथम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ हुआ मना जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना विभिम्न्न चरणों में हुई है जो इस प्रकार हैः–

स्त्रोत :त्रवेदी प्रो. इन्द्र वर्द्धन, सिंह डॉ. गोपाल, दशोरा डॉ. राकेश, नागर डॉ. अशोक एवं भण्डारी डॉ. इन्द्रकला[1] ; ''भारतीय बैंकिंग प्रणाली'', आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, 65 शिवाजी नगर, शिविल लाइन्स, जयपुर, ISBN : 81.8142.066.7, 2018.19

- **प्रेसीडेन्सी बैंकों की स्थापना :** 19 वीं सताब्दी के प्रारम्भ में इस्ट इणिडया कम्पनी के वाणिज्यक बैंकों सम्बंधी एकाधिकारों के समाप्त होने से एजेन्सी गृह असफल होने लगे तब तत्कालीन सरकार ने सर्वप्रथम वर्ष 1806 में प्रेसीडेन्सी बैंक ऑफ कलकत्ता एवं इसके पश्चात वर्ष 1840 में प्रेसीडेन्सी बैंक ऑफ बम्बई तथा वर्ष 1843 में प्रेसीडेन्सी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना मिश्रित पून्जी एवं असीमित दायित्व वाली पुन्जी के आधार पर की थी। जिससे बैंकिंग व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगे थे। इसलिए वर्ष 1860 में तत्कालीन भारत सरकार ने एक बैंकिंग सम्बंधी अधिनियम पारित किया जिससे सीमित दायित्व के सिद्धान्त के आधार पर बैंकों की स्थापना होने लगी।
- **इम्पीरयल बैंक की स्थापना :** प्रथम विश्व युद्ध के परिणामस्वरुप देश में बैंकिंग की स्थिति खराब होने से कमजोर बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। इसी प्रक्रिया के कारण एवं देश में केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश में पूर्व में स्थापित तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों (प्रेसीडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, प्रेसीडेंसी बैंक ऑफ बम्बई एवं प्रेसीडेंसी बैंक ऑफ मद्रास) का एकीकरण करके देश में एक नवीन बैंक **इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया** की स्थापना वर्ष 1921 में इम्पीरियल बैंक अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की थी। इसलिए इसने वर्ष 1935 तक देश में केंद्रीय बैंक के कार्यों को सम्पंन करने में अपना योगदान दिया और वर्ष 1935 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में केंद्रीय बैंक के कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। यह बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक एवं बैंकों की सहायता आदि का कार्य करता था लेकिन फिर भी इसमें अनेक दोष होने के कारण यह बैंक अपने निर्धारित लक्ष्यों व मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रहा था। स्थापना के समय इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की अधिकृत पून्जी ₹ 11.25 करोड़ थी जो ₹ 500 मुल्य के 2.25 लाख अशों में विभाजित थी और इसकी प्रदत पून्जी ₹ 5. 625 करोड़ थी। वर्ष 1949 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की अनेक कमियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करके बताया कि इस बैंक द्वारा शाखा विस्तार में असंतुष्टि, कुछ निजी प्रमुख व्यक्तियों का अधिपत्य, सरकारी नियंत्रण का अभाव तथा इसकी कार्यप्रणाली में अनेक कमियां थी। इसके लिए वर्ष 1951 में भारतीय ग्रामीण साख के विस्तृत अध्ययन के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण

साख सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया जिसने वर्ष 1954 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया कि ग्रामीण कृषि साख विस्तार एवं विकास के लिए सरकारी क्षेत्र में एक शक्तिशाली बैंक की स्थापना करनी होगी। इस प्रकार और भी अनेक सुझावों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा इंपीरियल बैंक एवं इससे संबंधित अन्य 8 और बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लेकर इंपिरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई, 1955 को **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** की स्थापना की गई एवं अन्य 8 बैंकों को इसके सहायक बैंकों के रूप में **स्टेट बैंक समूह** के अंतर्गत निर्धारित किया गया अर्थात भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 'स्टेट बैंक बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 के अंतर्गत की गई। इस प्रकार भारत का प्रथम सार्वजिक क्षेत्र में शक्तिशाली बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया।

- **पूंजी :** स्थापना के समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकृत पूंजी ₹ 20 करोड़ थी जो कि ₹ 100–100 के 20 लाख अंशों में एवं निर्गमित पूंजी ₹ 5.625 करोड़ निर्धारित की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के अनुसार इस की कुल निर्गमित पून्जी का 55 प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया गया था।
- **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रगति :** स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 1955 से वर्ष 1969 के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, सरकारी योजनाओं, लघु उद्योगों एवं विदेशी व्यापार के लिए निर्यात हेतु बहुत अधिक मात्रा में शाखा विस्तार किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय वर्ष 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुच्छेद 5 में यह उल्लेख किया गया कि आगामी 5 वर्षों में 400 शाखाएं खोली जाएंगी। इस लक्ष्य को बैंक ने समय पर पूरा कर लिया था। इस प्रकार बैंक ने वर्ष 1960 तक 907 शाखाएं स्थापित कर ली थी। लेकिन वर्तमान (2021) में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश में 22,141 शाखाएं एवं 62,617 ए.टी.एम. मशीनें देश में स्थापित कर रखी हैं और अब तक 38,338 ग्रामीण क्षेत्रों में 12.29 लाख कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर चुका है जो कि बैंक के प्रत्यक्ष वित्त का 38.3 प्रतिशत है। बैंक जनता में सरकार द्वारा समय–समय पर आयोजित एवं आदेशित योजनाओं में साख विस्तार एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करता रहता है।
- **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वर्तमान स्थिति :** स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक बहुराष्ट्रीय बैंक और वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है। इस बैंक की स्थापना ब्रिटिश भारत में 216 पूर्व 2 जून, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के साथ प्रारम्भ होकर प्रेसीडेंसी बैंक, 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होते हुए तथा अंत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में भारत सरकार ने 1 जुलाई, 1955 में की थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब तक के इतिहास के में लगभग बीस से अधिक बैंकों का विलय और अधिग्रहण कर के देश में प्रथम और वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा मौद्रिक व्यवसाय स्थापित किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया का 43वाँ सबसे बड़ा बैंक है, वर्तमान (2020) के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल (थ्वतजनदम ळसवइंस) 500 निगमों की सूची में 221वें स्थान पर एक मात्र भारतीय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सब से बड़ा बैंक है जो भारतीय पूँजी बाजार की 23 प्रतिशत संपत्ति को नियंत्रित करता है, इसमें 2,45,642 से अधिक कर्मचारी कार्यरत होने के कारण यह भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा नियोक्ता है एवं इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र और 57 क्षेत्रीय कार्यालय भारत के मुख्य हरों में स्थित हैं।

इस बैंक की 31 मार्च, 2022 के अंत में कुल आय ₹ 4,06,973 करोड़, परिचालन से आय ₹ 78,898 करोड़, शुद्ध आय ₹ 43,774 करोड़ एवं कुल सम्पत्ति ₹ 51,77,545 करोड़, समता पूंजी ₹ 3,00,972 है, इसमें 22,219 शाखाएं, 62,617 ए.टी.एम. और नकद जमा मशीनें संचालित हैं। इसने रोजगार के क्षेत्र में अच्छा योगदान

दिया है क्योंकि 31 मार्च, 2021 के अंत तक इसमें 2,45,642 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा इसकी 31 देशों में 219 शाखाएं संचालित हैं।

स्त्रोत : गुप्ता डॉ. बी.पी., वशिष्ठ डॉ. वी. के. एवं शर्मा डॉ. रागिनी[2] ; ''भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था'', आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, 65 शिवाजी नगर, शिविल लाइन्स, जयपुर, ISBN : 978-81-8142-702-1, 2018-19. https://en.wikipedia.org/wiki/State_Bank_of_India

गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ

गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की व्याख्या निम्न प्रकार की गई हैः–

- **निष्पादित परिसम्पत्तियाँ :** बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए समस्त प्रकार के ऋणों को ग्राहक उचित समय पर मूल ऋण एवं उस पर ब्याज की राशि अर्थात मूलधन 91 दिन/3 माह एवं ब्याज की राशि का पुनर्भुगतान 365 दिन/एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रोकता है और समस्त मूलधन मय ब्याज उचित समय से पूर्व या समय पर बैंक को चुका देता है तो इसे बैंक की भाषा में निष्पादित सम्पत्तियाँ (च्मतवितउपदह ।मजे) एवं वित्तीय भाषा में मानक सम्पत्तियाँ (जंदकंतक ।मजे) कहा जाता है। क्योंकि इन ऋणों पर प्राप्त ब्याज से बैंक को आय प्राप्त होती है। जिससे समस्त बैंकिंग परिचालन का कार्य करने के साथ–साथ लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए इन्हें निष्पादित परिसम्पत्तियाँ कहते हैं।
- **गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ :** गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ शब्द पूरे विश्व में कार्यरत एवं संचालित सभी प्रकार के बैंकों एवं समस्त प्रकार के वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उपयोग किया जाने वाला सारगर्भित शब्द है। जिससे इसका उपयोग कुछ सम्पत्तियों का निष्पादन एवं गैर–निष्पादिन क्षमता का अध्ययन करने, ऋणों की वास्तविक स्थिति जानने, बैंक के ऋणों की वसूलीकरण के प्रति बैंकिंग नीति एवं प्रबंध व्यवस्था की जानकारी के लिए किया जा सकता है। बैंक ग्राहक को जो ऋण देता है ग्राहक उस ऋण का बैंक को कुछ समय तक पुनर्भुगतान करने के पश्चात किसी कारणवस मूल ऋण की राशि/मूलधन का पुनर्भुगतान 91 दिन अथवा 3 माह तक एवं ब्याज की राशि का भुगतान 365 दिन अथवा 1 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक करने में असफल रहता है तो बैंक इस प्रकार के ऋणों को गैर–निष्पादित परिसम्पत्ति मान लेता है। ये वो सम्पत्तियाँ होती हैं जो बैंक के खाते (।बबवनदज) में सम्पत्ति के रूप में तो दर्शाई हुई होती हैं लेकिन बैंक के लिए इनका निष्पादन समाप्त हो जाता है इसलिए इन्हें गैर– निष्पादित परिसम्पत्तियों के नाम से जाना जाता है।
- **बैंकिंग ऋण का गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों में परिवर्तन :** रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार यदि बैंक द्वारा दिए गए किसी ऋण (परिसम्पत्ति) से ब्याज के रूप में आय प्राप्त होना बंद हो जाए तो उसे गैर– निष्पादित परिसम्पत्ति माना जाना चाहिए। इसके लिए बैंक को सम्बंधित ऋण खाते को विशेष उल्लेखित खाते (चमबपंस डमदजपवद ।बबवनदज (एस. एम. ए.) के अनुसार चिन्हित करना होता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट की प्रक्रिया में किसी ऋण खाते में मूलधन और ब्याज की किस्त का पुनर्भुगतान निर्धारित तिथि से 30 दिन तक नहीं हो तो उसे एस. एम. ए. 0, 31 दिन से 60 दिन तक नहीं हो तो उसे एस. एम. ए. 1 एवं 61 दिन से अधिक समय तक नहीं हो तो उसे एस. एम. ए. 2 की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

किसी ऋण खाते को बैंक द्वारा गैर–निष्पादित परिसम्पत्ति के रूप में चिन्हित करने या घोषणा करने के पश्चात बैंक उस गैर–निष्पादित परिसम्पत्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशानिर्देशानुसार तीन प्रकार से विभाजित करके दिखाता है जैसे उपमानक, संदेहास्पद एवं नष्ट गैर–निष्पादित परिसम्पत्ति, जिनकी व्याख्या इस प्रकार की गई हैः–

- **उपमानक गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ :** ऋण की वह राशि जो 18 माह तक वसूल नहीं हो सकी हो उसे उपमानक गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ कहते हैं।
- **संदेहास्पद गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ :** बाजार में आर्थिक मंदी, आकास्मिक दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं एवं वैश्विक महामारियों (जैसे कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से बाजार बन्द होना)

आदि के कारण बैंक द्वारा दी गई ऋण की वह राशि जो 18 महीने से अधिक समय से वसूल नहीं हो सकी हो और ऐसे ऋण की राशि के पुनर्भुगतान अथवा वसूल होने की सम्भावना हो तो उसे संदेहास्पद गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ कहते हैं।

- **नष्ट गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ :** बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के द्वारा ग्राहक को दिए गए ऋण की वह राशि जो पूर्णतः डूब चुकी है और भविष्य में इस ऋण का ग्राहक के द्वारा पुनर्भुगतान अथवा बैंक द्वारा वसूलीकरण असम्भव हो जाता है तो ऐसे ऋणों को नष्ट हो चुकी गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ कहते हैं।

Sources: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/non-performing-assets-in-indian-banks/
https://www.businessmanagementideas.com/hi/banking/management-of-non-performing-assets-of-a-bankbanking/18058

समस्या

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बढ़ती हुई गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ चिन्ता का विषय है।

साहित्य सर्वेक्षण

इससे पूर्व गैर–निष्पादित परिसम्पत्ति विषय पर बदलते समय के अनुसार अनेक प्रकार के वृहत्त एवं लघु शोध अध्ययन आयोजित किए गए हैं। जिनमें से प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध –प्रतिवेदनों और कुछ विषय सामग्री इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है। जिसका सर्वेक्षण करने के पश्चात कुछ शोध अध्ययनों का साहित्य सर्वेक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

- मन्जू आर. (2018)[1] ने "बैंक क्रेडिट एवं वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन कन्याकुमारी डिस्ट्रक्ट" विषय पर कन्याकुमारी में एक शोध अध्ययन का आयोजन किया। जिसके शोध प्रतिवेदन में अध्ययन के प्रारम्भ में देश में उद्यमिता की आवश्यकता, महत्व, विकास, रोजगार के आधार पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि आदि अनेक आधारों पर भारत जैसे विकासशील देश में इसकी उपादेयता को शिद्ध किया है। एंटरप्रेन्योरशिप के विकास–विस्तार में आने वाली अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला है इस प्रजातन्त्र में महिला उद्धमिता के विकास में आने वाली बाधाओं की व्याखा एवं इनका समाधान एवं इसी के साथ–साथ महिला सशक्तिकरण हेतु महिला समुहों के माध्यम से उन्हे उद्यमीय कौशल विकास हेतु प्रोत्साहित करके आवश्यक मौद्रिक संसाधनों की पूर्ति करना। शोध अध्ययन के अन्त में उन्होने बताया कि महिला उद्यमिता को विकसित तो किया जा सकता है लेकिन समाज में व्याप्त पूंजीगत संसाधनों का अभाव उन्हे आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए उन्होने सुझाव दिया है कि देश में महिला उद्यमिता के विकास हेतु महिलाओं को संग्ठित करने, प्रोत्साहित करने, उन्हे आर्थिक सहायता प्रदान करने, समय पर ऋण के पुनर्भुतान हेतु प्रोत्साहन करने आदि के द्वारा महिला उद्यमिता को विकसित किया जा सकता है और समय पर ऋणों की वसूलीकरण की जा सकती है ताकि बैंकों में गैर–निष्पादित परिसम्पतियों की समस्या उत्पन्न नहीं हो सके और महिला उद्यमिता एवं बैंकिग व्यावसायिक संस्थाओं का सत्त विकास होता रहे।
- देशमुख, रेणुका एच. (2015)[2] ने "बैंक फाइनेन्शिंग ऑफ कलीन डेवलपमेन्ट मेकेनाइज्म प्रोजैक्ट इन इण्डिया ए स्टडी ऑफ एक्साइटिंग प्रोसीजर्स सिस्टम एण्ड चैलेन्जेज विद रेफ्रेन्श टू इन्डस्ट्रीज इन महाराष्ट्रा" विषय पर महाराष्ट्र में एक शोध अध्ययन का आयोजन किया। इस शोध अध्ययन के प्रारम्भ में वैश्रिक स्तर पर गरीब देशों की आर्थिक स्थिति, रोजगार की स्थिति, कृषि आधारित जीवन व्यापन करने, वित्त के अभाव में कृषि उत्पादन की समस्या, बैंकों से वित्त प्राप्ति में कठिनाइयाँ, ऋणों के पुनर्भुगतान की स्मस्या, बैंकों में भ्रष्टाचार व जातीवाद की समस्या आदि अनेक शीर्षकों के आधार पर व्याख्या की है। शोध के मध्य भाग में उन्होने दश की जनता के लिए कृषि विकास, रोजगार के अवसर, स्वरोजगार के प्रशिक्षण आदि अनेक कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को ऋण

देने एवं ऋण पुनर्भुगतान के लिए ग्रहकों से अधिक ध्यान आकृषित किया है और अंत में उन्होने महाराष्ट्र में गरीबी बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा आदि समस्याओं की समाप्ती के लिए सरकार द्वारा नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन में बैंकों की भुमिका पर जोर देते हुए बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों एवं ऋण के पुनर्भुगतान के प्रबन्ध पर जोर दिया है ताकि बैंकों में गैर–निषपादित परिसम्पत्तियों में वृद्धि को रोका जा सके।

- घोष प्रियंका (2015)[3] ने "बैंक मर्जर्स इन इण्डिया : इफैक्ट ऑन फाइनेन्शियल परफारमेंशेज एण्ड शेयर होल्डर्स वैल्थ ऑफ द एक्वायरर बैंकस" विषय पर एक शोध अध्ययन आयोजित किया। जिसके शोध प्रतिवेदन में उन्होने देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बैंकिंग प्रणाली को ठोस आर्थिक विकास का मजबूत स्तम्भ बताया, देश में बैंकिंग इतिहास को पूर्णरूपेण समझाया, विभिन्न बैंकिंग सुधारों हेतु गठित की गई विभिन्न समितियों की व्याखा की है, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा बैंकिंग एवं मौद्रिक नियंत्रण, 'सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विकास बैंक, राष्ट्रीकृत बैंक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों की कार्य प्रणाली, बैंकों में पूंजीगत संसाधनों की कमी, ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋणों की प्रक्रिया, ग्राहकों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान की स्थिति एवं बैंकों द्वारा ऋण वसूलीकरण की परमपरागत पद्वति आदि की सविस्तार व्याख्या की है। शोध अध्ययन के अंत में एक दूसरे बैंकों के विलिनीकरण के विभिन्न कारण जैसे– बैंकों में धनाभाव, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नवीन प्रोधौगिकी का अभाव, अकुशल प्रबन्ध व्यवस्था, ग्राहक असंतुष्टि, ऋणों के वसूलीकरण में देरी, बैंकिंग प्रतिस्पर्धा का अभाव एवं गैर–निषपादित परिसम्पत्तियों में लम्बी अवधि तक अनावश्यक वृद्धि आदि कारणों से बैंकों का विलिनीकरण होना बताया और बैंकों में विलिनीकरण की समस्या को कम करने के लिए सुरक्षित ऋण पद्धति, समय पर ऋण वसूलीकरण, ऋणी ग्राहकों को ऋणों के पुनर्भगतान के लिए प्रेरित करना एवं गैर–निष्पादित परिसम्पतियों में कमी करने हेतु सुझाव भी दिए है।
- शर्मा अरुण कुमार (2014)[4] ने "बैंक क्रेडिट टू स्मॉल एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेज एण्ड इम्पैक्ट ऑन फाइनेन्शियल परफॉरमेन्सः ए स्टडी ऑफ सैलेक्टेड फरफोरमेंस इन साउथर्न राजस्थान" विषय पर शोध अध्ययन आयोजित किया। उन्होने प्रारम्भ में लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों की आर्थिक विकास में भूमिका की सविस्तार से व्याखा की है। अपने शोध प्रतिवेदन में विभिन्न बिन्दुओं के आधार पर बैंकों के द्वारा लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्योगों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया, औद्योगिक ग्राहकों के द्वारा बैंकों को ऋण का पुनर्भुगतान करने की स्थिति एवं बैंकों के द्वारा प्रदान किए गए ऋण की वसूलीकरण की धीमी गति की व्याखा की। उन्होनें बताया की बैंकों में छोटे स्तर के ऋण लेने वाले ग्राहकों से बैंकों को ऋण वसूलीकरण में इतनी समस्या नहीं आती है और ऐसे ऋणे से गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए कम राशि के ऋणों का बैंकों के संचालन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। इस आधार पर अंत में उन्होंने बैंकों को छोटे स्तर के ऋण अधिक देने का सुझाव दिया।
- पाल नित्या नन्द (1989)[5] ने "बैंक फाइनेन्श एण्ड देयर रिकवरी प्रोबल्मस विद स्पेशियल रेफ्रेंश द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुदरवान" विषय पर अध्ययन आयोजित किया। इस शोध अध्ययन में उन्होंने राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, जीवन बीमा, व्यावसायिक संस्थाओं एवं विकास बैंकिंग संस्थाओं की पुन्जी, ऋण पद्धति, ऋण वसूलीकरण पद्धति एवं तत्कालीन प्रगति की सविस्तार व्याखा की है। इसके पश्चात शोध प्रतिवेदन के चतुर्थ अध्याय में एनलेशिस ऑफ द प्रोबलम्स ऑफ बैंक" में उन्होने बताया कि बैंकिंग व्यवसाय के विस्तार एवं देश में आर्थिक विकास के लिए मुद्रा या वित्त का परिसंचरण या ऋण का पुनर्भुगतान आवश्यक है। नहीं तो गैर–निष्पादित परिसम्पतियों के निर्माण एवं इसमें वृद्धि होने पर बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का अस्तित्व संकट में आ जाता है जिससे बैंक दिवालिया होने पर इनका अस्तित्व समाप्त कर के दुसरे बैंक के साथ विलय करना पड़ता है। अन्त में उन्होने बैंकिंग विस्तार एवं विकास हेतु सुझाव दिया है कि बैंक जमाओं में

वृद्धि करना, सुरक्षित ऋण पद्धति, सीमित ऋण पद्धति के ऋण देना, कम राशि के अधिक मात्रा में ऋण देना, उचित समय पर वसूलीकरण करना, संदिग्ध ग्राहकों से वसूलीकरण पर जोर देना आदि अनेक प्रकार के तथ्यों पर जोर दिया।

शोध अध्ययन कार्य क्षेत्र

इस शोध अध्ययन का आयोजन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2010 के संमकों के आधार पर प्रारम्भ किया गया है।

संमक संकलन

- **प्राथमिक संमक :** ऐसे संमक जिन्हे अनुसन्धानकर्त्ता द्वारा प्रथम बार आरम्भ से अन्त तक स्वयं घटना स्थल पर जाकर एकत्रित किये जाते हैं और जिन्हे इससे पूर्व कभी भी किसी भी अनुसन्धान कार्य में प्रयोग में नहीं लिए गए हों तो उन्हें प्राथमिक संमक कहते हैं। ऐसे संमकों को इस अनुसन्धान कार्य में प्रयोग में नहीं लिया गया है।
- **द्वितीयक संमक :** द्वितीयक समंक वे समंक हैं जो पहले किन्हीं व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसन्धानकर्त्ता केवल उनका प्रयोग करता है तो उन्हें द्वितीयक संमक कहते हैं। इस शोध अध्ययन का आयोजन पूर्णतः द्वितीयक संमकों के आधार पर किया गया है। इस शोध कार्य को भारतीय स्टेट बैंक के वर्ष 2010 के संमकों से प्रारम्भ करके किया गया है। क्योंकि प्राचीन संमकों को प्राथमिक संमकों के रूप में प्राप्त करना असुविधाजनक है इसलिए इस शोध कार्य को पूरा करने के लिए शोध–अध्ययनों, विभिन्न पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, मैगजीन्स, समाचार पत्रों, विभिन्न बैंकिग संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित अन्तिम खातों एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा जारी किए जाने वाले बुलेटिन आदि के माध्यम से संमक एकत्रित किए गए हैं।

स्त्रोत : शर्मा वीरेन्द्र प्रकाश, रिसर्च मेथडॉलॉजी, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2012.
नागर कैलाश नाथ, सांख्यिकी के मुल तत्व, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 2020.

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की वर्तमान स्थिति

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की 31 मार्च, 2010 से 31 मार्च, 2022 तक के वित्तीय वर्षों के गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की स्थिति निम्न सारणी में दर्शाई गई है:–

(₹ in Crore)

State Bank of India		
Non - Performing Assetes		
Year	**Gross Non - Performing Assetes**	**Net Non - Performing Assetes**
2022	1,12,023	27,965
2021	126,389.02	36,809.72
2020	149,091.85	51,871.30
2019	172,750.36	65,894.74
2018	223,427.46	110,854.70
2017	112,342.99	58,277.38
2016	98,172.80	55,807.02
2015	56,725.34	27,590.58
2014	61,605.35	31,096.07
2013	51,189.39	21,956.48
2012	39,676.46	15,818.85
2011	25,326.29	12,346.89
2010	19,534.89	10,870.17

Sources: https://www.moneycontrol.com/financials/statebankofindia/balance-sheetVI/sbi
State Bank of India Annual Reports of financial years of 2009-10 to 2021-2022.

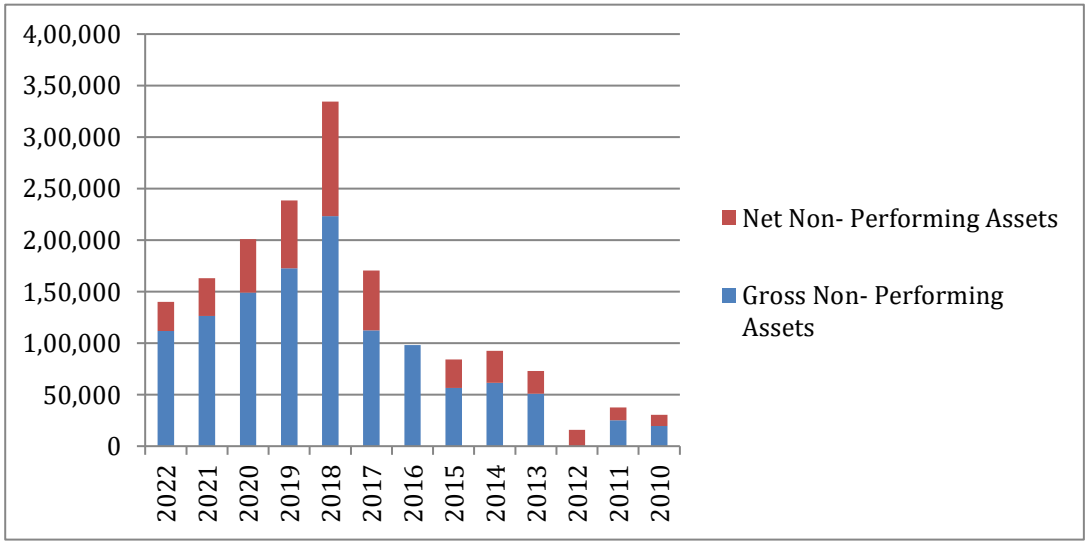

उक्त सारणी एवं ग्राफ के अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 2010 से 2018 तक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में सकल गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की राशि लगातार बढती जा रही है। लेकिन वर्ष 2018 के पश्चात गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की राशि में नियमित रुप से कमी देखी गई है। जिससे यह स्पश्ट होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की वसूलीकरण एवं प्रबन्ध व्यवस्था में वर्ष 2018 के पश्चात सुधार हुआ है। भारत में कोविड–19 के प्रभाव के कारण भारत सरकार की योजनाओं के आधार पर ऋण देने, कोविड के कारण आर्थिक मंदि को कम करने, उद्योगों को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करने, ऋण स्थिरीकरण, कृषि एवं कृषि के सहायक कार्यों हेतु ऋण देने एवं बेरोजगारों कों रोजगार हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराने आदि अनेक कार्यों से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में सकल एवं शुद्ध गैर– निष्पादित परिसम्पत्तियों की मात्रा धीमी गति से कम हो रही हैं। लेकिन फिर भी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में निष्पादित परिसम्पत्तियों की वर्तमान स्थिति ठीक है।

निष्कर्ष

उक्त शोध अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं में प्राचीन समय से ही ऋणों के पुनर्भुगतान की समस्या बनी रहती आई है। क्योंकि सरकार के द्वारा गठित विभिन्न बैंकिंग जांच समितियों एवं बैंकिंग जांच आयोगों आदि के द्वारा प्रश्तुत किए गए प्रतिवेदनों में दिए गए सुझावों एवं निष्कर्षों, विभिन्न शोध अध्ययनों और वर्तमान बैंकिंग परिस्थितियों के आधार पर दिन प्रति दिन बैंकों में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं जो कि बैंकिंग एवं आर्थिक विकास के लिए उचित नहीं है।

सुझाव

उक्त शोध अध्ययन, साहित्य सर्वेक्षणों एवं विभिन्न बैंकिंग जांच समितियों, बैंकिंग जांच आयोगों एवं रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किए गए बैंकिंग निरीक्षण दलों आदि के परिणामों के आधार पर बैंकों में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों के विस्तार को रोकने के लिए विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करना चाहिए जैसे– ऋणों की राशि एवं अवधि कम करना, सुरक्षित ऋण पद्दति अपनाना, नवीनतम क्रेडिट जोखिम प्रबन्धन तकनीको का प्रयोग करना, ऋण वसूली ट्रिब्युनल के अनुसार ऋण मामलों को सुलझाना, प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 के अधीन वसुलीकरण करना, छोटे ऋणों की वसुलीकरण के लिए लोक अदालत का प्रयोग करना, गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की वसूली के लिए समझौता निपटारा तंत्र का प्रयोग करना, ऋण देने से पूर्व सभी बैंकों को क्रेडिट सूचना ब्यूरो लिमिटेड के आधार पर जांच करना आदि के द्वारा बैंकों में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों को कम किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कंसल डॉ. अन्जु, शर्मा डॉ. ममता, जैन डॉ. अंकुर एवं छीपा संजय कुमार; ''भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली'', अमेरा बुक कम्पनी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर, 2019.
2. त्रिवेदी प्रो. इन्द्र वर्द्धन, सिंह डॉ. गोपाल, दशोरा डॉ. राकेश, नागर डॉ. अशोक एवं भण्डारी डॉ. इन्द्रकला ; ''भारतीय बैंकिंग प्रणाली'', आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, 65 शिवाजी नगर, शिविल लाइन्स, जयपुर, ISBN : 81-8142-066-7, 2018-19.
3. ओझा बी.एल. एवं औझा मनोज कुमार ; ''बैंकिंग विधि एवं व्यवहार'', आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, 65 शिवाजी नगर, शिविल लाइन्स, जयपुर, ISBN : 81-8142-283-X, 2018-19.
4. गुप्ता प्रो. बी.पी., वशिष्ठ डॉ. वी.के. एवं स्वामी डॉ. एच.आर, ; ''बैंकिंग एवं वित्त'' आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, 65 शिवाजी नगर, शिविल लाइन्स, जयपुर, ISBN : 81-8142-025-X, 2013-14.
5. गुप्ता डॉ. बी.पी., वशिष्ठ डॉ. वी.के. एवं शर्मा डॉ. रागिनी ; ''भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था'', आर. बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, 65 शिवाजी नगर, शिविल लाइन्स, जयपुर, ISBN : 978-81-8142-702-1, 2018-19.
6. श्रीवास्तव पी.के. : ''आधुनिक बैंकिंग एवं व्यवहार'', शिवा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 1999.
7. भाटी पी.आर.; ''इन्टरनेशनल बैंकिंग'', कामनवेल्थ पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली, 1999.
8. माथुर टी.एन.आर. एवं जैन पी.सी. ; ''भारतीय बैंकिंग प्रणाली'', रिसर्च पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2000.
9. यादव पी.डी. ; ''भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियाँ'', रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 2002.
10. Sources:https://www.jagran.com/business/top15-know-everything-about-npa-and-new-guidelines-of-rbi-over-npa-17515771.html

❖◆❖